<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 04.09.2020

थाना सतरिख पुलिस द्वारा ग्राम मगरवल में हुए जानलेवा हमला करने से सम्बन्धित लाइसेंसी बन्दूक किया बरामद-

दिनांक 06.05.2020 को वादी कबीर अहमद पुत्र अब्दुल हुई निवासी ग्राम मंगरवल थाना सतरिख जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर लिखित तहरीर देकर अभियुक्तगण मो0 रशीद आदि 04 लोगों के विरूद्ध मारपीट करने एवं बन्दूक से फायर कर जान से मारने का प्रयास करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-87/2020 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 3/25/27/30 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कराया गया। थाना सतरिख पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 नफर नामित अभियुक्तगण को जेल भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित असलहे की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक-09.04.2020 को प्रभारी निरीक्षक सतरिख श्री बृजेश वर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए घटना कारित करने में प्रयुक्त लाइसेंसी (DBBL) बन्दूक को बरामद किया गया।